



कंपनी अधिनियम में संशोधन

प्रलिस के लिये:

कंपनी अधिनियम, 2013, कंपनी लॉ कमेटी (CLC) ।

मेन्स के लिये:

कंपनी अधिनियम में प्रस्तावति संशोधन ।

चर्चा में क्यों?

कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा संसद के शीतकालीन सत्र में **कंपनी अधिनियम में संशोधन प्रस्तावति करने पर** विचार किया जा रहा है ।

- मंत्रालय को **कंपनी लॉ कमेटी** द्वारा की गई इन सफारिशों पर विशेषज्ञों तथा पेशेवरों से प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है, जसिने **अप्रैल 2022** में अपनी रिपोर्ट वतित और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री को सौपी थी ।

प्रमुख प्रस्ताव:

- इससे कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर प्रतबंध बढ़ने की उम्मीद है, विशेष रूप से बोर्ड पदों के लिये भरती और लेखा परीक्षकों एवं शीर्ष अधिकारियों के इस्तीफे से संबंधित मामलों को संभालने के लिये ।
- इसके प्रमुख प्रस्तावों में यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है कि स्वतंत्र नदिशक वास्तव में स्वतंत्र हों और कंपनियुधानिक लेखा परीक्षकों द्वारा वतित वविरणों पर प्रतकूल टपिपणी या योग्यता या यहाँ तक कि अपने लेखा-परीक्षा को छोड़ने के कारणों के बारे में अधिक पारदर्शी हों ।
- यह कुछ प्रकार की कंपनियों के लिये अनविर्य संयुक्त ऑडिट सहति कानून में कई बदलाव करके वैधानिक लेखा परीक्षकों की स्वतंत्रता की रक्षा करना चाहता है ।
- कंपनी अधिनियम में प्रस्तावति परविरतनों का उद्देश्य सुशासन के पथ-प्रदर्शकों को मज़बूत करना है, स्वतंत्र नदिशकों और लेखा परीक्षकों ने कंपनी के मामलों में अधिक पारदर्शता का संचार किया है तथा कंपनियों को **व्यापार करने में सुगमता (Ease of Doing Business)** में सुधार के प्रयासों के तहत आंशिक शेयर और रियायती शेयर जारी करने की अनुमति दी है ।
 - कंपनी अधिनियम के तहत वर्तमान में प्रतबंधित आंशिक शेयरों का मुद्दा खुदरा नविशकों को उच्च मूल्य वाले शेयरों तक पहुँचने में मदद करेगा, जबकि रियायती शेयर संकट में एक कंपनी को ऋण को इक्वटी में बदलने की अनुमति देगा ।
- कॉर्पोरेट क्षेत्र में कुछ दवालिया कंपनियों, विशेष रूप से बड़ी गैर-बैंक वतिततीय कंपनियों, जनिहोंने पछिले कुछ समय में गंभीर वतिततीय कठनाइयों का सामना किया है, ने सरकार को इनमें से कुछ परविरतनों पर विचार करने के लिये प्रेरित किया है ।

भारतीय कंपनी अधिनियम:

- भारतीय कंपनी अधिनियम संसद का एक अधिनियम है जसिने वर्ष 1956 में अधिनियमित किया गया था । यह कंपनियों को पंजीकरण द्वारा गठित करने में सक्षम बनाता है, कंपनियों, उनके कार्यकारी नदिशक और सचिवों की ज़िम्मेदारियों को नरिधारित करता है ।
- वर्ष 2013 में सरकार ने भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 में संशोधन किया और एक नया अधिनियम जोड़ा जसिने भारतीय कंपनी अधिनियम, 2013 कहा गया ।
 - कंपनी अधिनियम, 1956 को आंशिक रूप से भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 द्वारा प्रतस्थापित किया गया था ।
 - यह एक अधिनियम बन गया और अंततः यह सतिंबर 2013 में लागू हुआ ।
- वर्ष 2020 में भारत की संसद ने कंपनी अधिनियम में और संशोधन करने तथा वभिन्नि अपराधों को कम करने के साथ-साथ देश में व्यापार करने में सुगमता को बढ़ावा देने के लिये कंपनी (संशोधन) वधियक, 2020 पारित किया ।
 - प्रस्तावति परविरतनों में कुछ अपराधों के लिये दंड में कमी के साथ-साथ अधिकारों के मुद्दों के संदर्भ में समयसीमा **कॉर्पोरेट सामाजिक ज़िम्मेदारी (सीएसआर)** अनुपालन आवश्यकताओं में छूट और **राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय नयायाधिकरण (एनसीएलएटी)** में अलग

बेंच की स्थापना भी शामिल है।

कंपनी अधिनियम 2013 की विशेषताएँ:

- यह कंपनी के नगिन, कंपनी की ज़मिमेदारियों, नदिशकों और कंपनी के वधिटन को नयित्तरति करता है।
- इसे 29 अध्यायों में वभिजति कयिा गया है जसिमें पूरव कंपनी अधिनियम, 1956 में 658 धाराओं की तुलना में 470 धाराएँ हैं और इसमें 7 अनुसूचयिँ हैं।
- इसमें अधकितम 200 सदस्य हैं, पहले नजीी कंपनयिँ में सदस्यों की अधकितम संख्या 50 थी।
- इस अधिनियम में 'एक वयक्तिकंपनी' (One Person Company) नया शब्द शामिल कयिा गया है।

स्रोत: मटि

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/amendments-to-the-companies-act>

